

5-5-18

पञ्जावली ग्राम नैम्य कोर्ट उदमपुरवाली में पेश हुई। वक्तव्य
 उपस्थित। पञ्जावली का दायत पूर्व का डावगोवन मिश्रा ग्राम
 शालस्व रिवाडी (पञ्जावली) सं- 2070-73 ग्राम बागोरा के
 अनुसार ग्राम बागोरा की सरहद में स्थित भूमि ख. नं. 117
 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 305
 किला 12 कुम रकबा 3.72 है। स्थित है। उक्त वर्णित
 भूमि बांशुक्त स्वातंत्र्यकारी भूमि है तथा भूमि का विधिवत
 विभाजन नहीं हुआ है। वादी प्रोप्रायस उक्त वर्णित भूमि
 का रिवाडी स्वतंत्र रूप रिवाडी है। धारा 53 के प्रावधान
 अनुसार वादी अपने हिस्सा एवं कटवा के अनुसार विधिवत
 विभाजन करवाने का अधिकारी है।

आदेश

वाद पक्ष स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्ली
 इस आशय की दी जाती है कि ग्राम ~~बागोरा~~ बागोरा के
 भूमि ख. नं. 117, 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143
 147, 149, 305 किला 12 कुम रकबा 3.72 है में वादी
 का शालस्व रिवाडी में दर्ज हिस्सा एवं कटवा अनुसार
 शस्ते का प्रावधान शस्ते हुए विधिवत विभाजन किये
 जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार
 उदमपुरवाली उमगक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन
 प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियां
 में न्यायालय हाथ में प्रस्तुत करें। डिक्ली पर्याप्त हो।

निर्णय आज दिनांक 5-5-18 को कोर्ट नैम्य उदमपुरवाली
 में किया गया। पञ्जावली फौसल शुमार से कर संबंध के
 काम हैं तथा वाद तकमील दारिखल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 उदमपुरवाली